

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2019

विषय: प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/1845-जी/लेखा-2/प्र0बीज अनु0/2018-19 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या: 19/2018/1340/ 12-2-2018-8/2017 दिनांक 11 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 5500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 4700.00 (रूपये सैंतालिस करोड मात्र) नियमानुसार व्यय हेतु (संलग्न विवरण के अनुसार) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहाँ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार उन्हें अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।
7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। अतः इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)  
संयुक्त सचिव।

संख्या:2/2019/33(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)  
संयुक्त सचिव।

**शासनादेश संख्या:2/2019/33/12-2-2019-8/2017 दिनांक 07 जनवरी, 2019 का संलग्नक**

क्र०सं०	विषय	विवरण	
1	योजना का नाम	प्रमाणित बीजों पर अनुदान	
2	वित्त पोषण	राज्य सेक्टर	
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण संक्षेप में	धान, गेहूँ, जौ, उर्द, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर, तोरिया, राई/सरसों, मूंगफली, सोयाबीन एवं तिल के बीजों के वितरण पर अनुदान	
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/ भारत सरकार/आर० के०वी०वाई में एस० एल०एस०सी०/मा० मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	शासनादेश संख्या: 18/2016/1236/ 12-2-2016-2/2016 दिनांक 13 मई, 2016, शासनादेश संख्या: 16/2017/1589/12-2-2017-8/2017 दिनांक 18 मई, 2017 एवं शासनादेश संख्या: 79/2017/397/12-2-2017-18/2017 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 एवं शासनादेश संख्या: 2018/3286/12-2-2018-43/2018 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा स्वीकृत।	
5	परिव्यय	5500.00 लाख	
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/ अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।	-	
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	-	
8	योजना में वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	5500.00 लाख	
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियों तथा व्यय की धनराशि	27-सब्सिडी आवंटन	800 लाख
		व्यय	288.28 लाख
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	अवमुक्त धनराशि	2700.00 लाख
		व्यय की धनराशि	1802.61 लाख
11	प्रस्तावित अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	27-सब्सिडी	4700.00 लाख

( उमा कान्त पाठक )  
संयुक्त सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।